शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
राज्य मिशन निदेशक, अमृत एवं स्मार्ट सिटीज

Secretary to the Government
Department of Local Self Government, Rajasthan
State Mission Director, AMRUT & Smart Cities

डॉ. जोगा राम, आई.ए.एस
Dr. Joga Ram, IAS

अ.शा.पत्रांक : एस्टे/एम/एफ.10( )आरएमएस(टी)/डीएलबी/2022/3470
जयपुर, दिनांक : 20/05/2022

विषय : इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में (IRGY-Urban) संविदा पदों को भरने के सम्बन्ध में।

श्री Rakeshji,

मैं आपका ध्यान पूर्व विभागीय पत्रांक एफ.56(क)( )सीई/डीएलबी/ IRGY(U)/2022–23/32911–943 दिनांक 12.05.2022 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसके द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में (IRGY-Urban) अन्तर्गत नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों में स्वीकृत संविदा पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना जयपुर, दिनांक 11.01.2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत संविदा पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की कार्यवाही हेतु जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त पत्र की निरन्तरता में विभाग द्वारा निर्धारित गाईडलाईन, कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.01.2022, विज्ञप्ति का प्रारूप, आवेदन का प्रारूप संलग्न कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि संविदा पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति करने हेतु अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 के प्रावधानों के अंतर्गत भर्ती नियमों, पदों के आरक्षण, पदों की योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी करने हेतु नियमों एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुये निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

01. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति/भर्ती जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (DPC) द्वारा सम्पादित की जावे।
02. कार्मिकों का चयन हेतु (संविदा आधार पर) जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जावे।
03. कार्मिकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति में कार्मिक विभाग की उपयुक्त अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 के अनुसार नियमानुसार आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।
04. नगरीय निकायों में कार्मिकों की संविदा भर्ती हेतु विज्ञप्ति जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय (Urban Local Bodies situated at District Headquarter) के माध्यम से जिले की सभी निकायों के लिए एकीकृत रूप से जारी किया जावे, जिसमें निकायवार स्वीकृत पदों को पृथक–पृथक स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।
05. नगरीय निकायों के लिये कार्मिकों के चयन हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर एव जिला परियोजना समन्वयक द्वारा एक समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें जिला कलक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला

कमरा नं. 4213, द्वितीय तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005, फोन: 0141-2227459, मोबाईल: 94149-830
Room No. 4213, IInd Floor, Main Building, Secretariat, Jaipur, Phone : 0141-2227459, Mobile : 94149-
E-mail : secy.lsg.gor@gmail.com

कलक्टर के स्तर का हो), जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगरीय निकाय को भी सम्मिलित किया जावें।

06. संविदा पर नियुक्त कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय विभाग द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति अनुसार ही होगा।

07. संविदा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए अनुबन्ध उन्हें आवंटित नगर पालिका/परिषद/निगम द्वारा संपादित किया जावेगा।

08. वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही संविदा कार्मिकों का नियोजन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

09. प्रशासनिक व्यय निर्धारित 6 प्रतिशत सीमा में ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यवाही 31 मई, 2022 तक आवश्यक रूप से सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

Regards,

शुभेच्छु

(डॉ0 जोगाराम)
शासन सचिव

श्री राकेश कुमार जायसवाल,
जिला कलक्टर,
धौलपुर।